न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 06/2018

श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री प्रताप, जाति रेगर, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

...अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट

2. राजस्व अपील संख्या 07/2018

श्री हनुमान पुत्र श्री रामकिशन, जाति रेगर, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

...अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट

3. राजस्व अपील संख्या 08/2018

श्री रामेश्वर पुत्र श्री श्योराम, जाति जाट, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

...अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री राजेश गौतम वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक – 28.03.2018

उपरोक्त तीनों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2074 में श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री प्रताप, जाति रेगर, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने ग्राम भदूण के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 324 में से रकवा 00–02 बीघा पर पक्का मकान व बाडा बनाकर एवं श्री हनुमान पुत्र श्री रामकिशन, जाति रेगर, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने ग्राम भदूण के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 324 में से रकवा 00–02 बीघा पर बाडा बनाकर एवं इसी प्रकार श्री रामेश्वर पुत्र श्री श्योराम, जाति जाट, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने ग्राम भदूण के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 334 में से रकवा 00–02 बीघा पर पक्का मकान व बाडा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगए के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या क्रमशः 33/2017, 35/2017 व 34/2017 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 26.09.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर किए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सामग्री जब्त कर नीलामी करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.09.2017 को असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा ऐतराज दर्ज नही करवाये जाने के कारण मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया। हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत पक्ष रखने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त तथा साम्यता के अनुतोष के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश साइक्लोस्टाइल आदेश है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि ग्राम भदूण की विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 324 व 334 गैर मुमकिन श्मशान व पाल की सम्पूर्ण भूमि पर गांव के अन्य व्यक्तियों के मकान बने हुए हैं अर्थात सम्पूर्ण भूमि पर आबादी बसी हुई है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि सिवायचक गै0मु0 श्मशान व गै0मु0 पाल अंकित होकर द्वेषभावना के तहत केवल मात्र अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही गत 70 वर्षों से उक्त भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। इस कारण अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने के कारण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर आवंटन/नियमन का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि देकर ग्राम पंचायत की अनुशंषा पर शौचालय निर्माण भी किया गया है एवं इसी पते पर अपीलान्ट को राशन कार्ड, वोटर लिस्ट व आधार कार्ड जारी किया हुआ है एवं बिजली कनेक्शन लिया हुआ है। मौके पर किसी भी प्रकार की गैर मुमकिन पाल अथवा श्मशान निर्मित नहीं है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी से गैर मुमकिन पाल की दूरी लगभग 500 मीटर है एवं श्मशान भी दूरी पर स्थित है, जबकि मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं मंगवाई जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर विवादित निर्णय पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से विवादित भूमि के एक हिस्से पर मकान निर्माण कर मय परिवार निवास करता चला आ रहा है, उनके परिवार के निवास हेतु अन्य कोई भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें बेदखल किया जाता है तो वे परिवार सहित बेघर हो जायेगे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन श्मशान/पाल होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो आवंटन/नियमन योग्य भी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान व बाडा बनाकर कर अतिक्रमण किया है किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायलय ने एक साईक्लोस्टाईल आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपील तहसीलदार रूपनगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे विवादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका जांच एवं रेकॉर्ड का परीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर नियमों के अंतर्गत पूर्ण विवेचना पश्चात नये सिरे से विधिसम्मत Speaking Order पारित करें।

आदेश आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner